बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

विभागीय संकल्प सं0– 3664 दिनांक 23.06.2014 के द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों के लिए वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ सरकार के सचिव के सदृश्य अनुमान्य किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

2. राज्य अन्तर्गत सातवें केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण किया गया है । ऐसी स्थिति में विभिन्न आयोगों में नियुक्त सदस्यों को पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण किये जाने के संबंध में दिनांक 02.01.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सेवानिवृत पदाधिकारी आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होता है, तो सेवानिवृति के समय जो वेतन प्रक्रम अपुनरीक्षित वेतनमान से प्राप्त हो रहा था उसमें 2.57 से गुणा करने पर जो राशि आएगी उसे पे–मैट्रिक्स के वेतन स्तर–14 में निर्धारित किया जाएगा तथा इस राशि में से दिनांक 01.04.2017 को प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जाएगी। इस तरह से निर्धारित वेतन एवं पेंशन पर क्रमशः अनुमान्य मंहगाई भत्ता/राहत प्राप्त होता रहेगा तथा यह लाभ दिनांक 01.04.2017 से या नियुक्ति की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमान्य होगा ।

3. उपर्युक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत पदाधिकारियों से भिन्न यदि किसी महानुभाव की नियुक्ति सदस्य के पद पर होती है तो उनका वेतन पुनरीक्षित पे–मैट्रिक्स के वेतन स्तर–14 के प्रारंभिक प्रक्रम अर्थात 1,44,200/– (एक लाख चौवालीस हजार दो सौ) रूपये होगा । उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि बिहार राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों का राज्य सरकार के सचिव का पुनरीक्षित वेतन स्तर–14 का प्रारंभिक प्रक्रम 1,44,200/– (एक लाख चौवालीस हजार दो सौ) रूपये पुनरीक्षित नियत वेतन के रूप में अनुमान्य होगा ।

4. विभागीय संकल्प सं0–3664 दिनांक 23.06.2014 में प्रावधानित अन्य सुविधाएँ यथावत् रहेगी ।

5. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-- प्र06/विविध–22/2013 (खंड).II – 4178 खाद्य/दिनांक 27.08.18

प्रतिलिपिः– श्री नन्दकिशोर कुशवाहा, सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग/श्रीमती रंजना रानी, सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग/श्रीमती अनिता राम, सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग/श्री हृदय नारायण खरवार, सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग/डा0 रामचन्द्र यादव, सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग/सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र06/विविध–22/2013 (खंड)-II – 4178 खाद्य/दिनांक 27.08.18

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Year-2017\SECTION-06\Vividh-Raj.doc

Scanned by CamScanner